

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 831/2010/जयपुर

मैसर्स विलेज होम डेकोर,
बी-141, विद्युत नगर, कवींस रोड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वृत्त-जी, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस. के. जैन, अधिकृत प्रतिनिधि

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा अपील संख्या 29/ET 1/04-05 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-जी, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा दी राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ मोटर व्हिकल्स इन्ट्र लोकल एरियाज एक्ट, 1988 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2004 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध प्रवेश कर अधिनियम के तहत एक वाहन की कीमत रुपये 11,50,000/- मानते हुए उस पर 12 प्रतिशत कर, अनुवर्ती ब्याज एवं शास्ति आरोपित करते हुए कुल रुपये 37,300/- की मांग कायम की गयी थी जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित कर रुपये 22,307/- एवं ब्याज रुपये 4993/- को यथावत रखा, परन्तु आरोपित शास्ति रुपये 10,000/- को अपास्त किया है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से कथन किया कि सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी द्वारा पारित किया गया विवादित आदेश दिनांक 31.03.2004 एक दर्शनीय आदेश है, जिसमें न तो यह बताया गया है कि अपीलार्थी ने कौनसा विशिष्ट वाहन खरीद किया है न ही कोई बिल पेश किया, न कोई बीमा पत्र या एसेसरीज के खरीद का कोई

लगातार.....2




विवरण है, बल्कि उनके द्वारा रुपये 11,50,000/- की कीमत अंकित करते हुए प्रवेश कर आरोपित किया है, जो पूर्णतया अविधिक आदेश है एवं बिना किसी सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने भी बिना किसी आधार के यथावत रखा है, जो अनुचित है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान यह विशिष्ट रूप से कथन किया कि इस कर निर्धारण आदेश की शैली एवं विधिक स्थिति को देखते हुए समुचित विधिक आदेश पारित किया जावे एवं ऐसे अस्पष्ट आदेश को अपास्त किया जावे।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने केवलमात्र कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया, परन्तु वे यह बताने में असमर्थ रहे कि किस बिल के आधार पर या कौनसे वाहन पर यह प्रवेश कर आरोपित किया गया है।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में ऐसी कोई पत्रावली नहीं पायी गयी जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी के वाहन की खरीद का कोई बिल या अन्य किसी भी तरह के विवरण उनके पास उपलब्ध हो। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी, जो कि सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी है, द्वारा पारित आदेश से भी यह स्पष्ट होता है कि उनके पास कोई मौखिक सूचना रहने से ऐसा आदेश पारित किया गया है जबकि पत्रावली पर कोई बिल या अन्य कोई खर्च के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। कर बोर्ड के समक्ष दिनांक 30.06.2016 को एक पत्रावली पृष्ठ संख्या 1 से 138 भिजवाई गई थी, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि वह पत्रावली राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 से सम्बन्धित कर निर्धारण आदेश एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेजों की पत्रावली है जिसमें किसी भी तरह के प्रवेश कर सम्बन्धी न तो कोई ऑर्डरशीट है और न ही कोई अन्य दस्तावेज हैं, जो प्रवेश कर देयता से सम्बन्धित हो, बल्कि पृष्ठ संख्या 135 पर कर निर्धारण आदेश की एक छायाप्रति एवं पृष्ठ संख्या 137 पर अपील आदेश की प्रति रखी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी के पास ऐसे कोई दस्तावेज की पत्रावली नहीं थी एवं उनके द्वारा बिना किसी नोटिस एवं सुनवाई के दिनांक 31.03.2004 को आदेश पारित किया गया। कर निर्धारण आदेश को भी उद्धरित किया जाना उचित होगा :-



लगातार.....3

कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2004

वाहन के मालिक द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निम्न निर्णयों के मध्य नजर उक्त प्रकरण का निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :-

- (1) M/s समुराय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा0 लि0 (1996) RTJS 101
- (2) स.वा.क.अ. AE V/S श्रीमती बीना कंवर निर्णय दि. 29.1.03
- (3) माल सिंह लाल चन्द V/S स.वा.क.अ. श्री विजयनगर दि. 27.5.02

वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत क्रय इन्वाइस, बीमापत्र एवं अन्य एसेसरीज खर्चे शामिल करते हुए वाहन की कीमत Rs 11,50,000=00 है।

| | | |
|----------------------------|---|-------------|
| अतः Rs 11,50,000=00 @ 12% | = | 1,38,000=00 |
| अन्तर कर पर ब्याज @ 18% | = | 4,993=00 |
| 15 माह का | | |
| धारा 6 के तहत शास्ती | = | 10,000=00 |
| ET-1 प्राप्त नहीं करने पर | | |
| कुल निर्धारित राशि | = | 1,52,993=00 |
| (-) अन्य राज्य में क्रय के | | |
| समय चुकाया कर | = | 1,15,693=00 |
| बकाया मांग कर | = | 37300=00 |

अतः बकाया मांग का नोटिस मय आदेश पत्र तामील करावें।

ह0

सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर
वृत्त जी, जयपुर

उक्त आदेश के पठन से यह प्रमाणित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस एवं बिना किसी सुनवाई तथा बिना किसी विशिष्ट बिल के यह आदेश पारित किया गया है।

7. प्रवेश कर देयता के सम्बन्ध में प्रवेश कर अधिनियम, 1988 की धारा 3 व 4 एवं नियम 3 निम्न प्रकार है :-

3. Incidence of Tax,-

- (1) There shall be levied and collected a tax on the purchase value of a motor vehicle, an entry of which is effected into a local area for use or sale therein and which is liable for registration in the State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939), at such rate or rates as may be notified by the State Government from time to time but not exceeding the rates notified for motor vehicles under section 5 of the RST Act, 1954 (Rajasthan Act 29 of 1954) or fifteen percent of the purchase value of a motor vehicle, whichever is less:

Provided that no tax shall be levied and collected in respect of a motor vehicle which was registered in any Union Territory or any other State under the Motor Vehicles Act, 1939 (Central Act 4 of 1939) for a period of fifteen months or more before the date on which it is liable to be registered in the State under the said Act.

लगातार.....4

- (2) The tax shall be payable by an importer, -
- (a) if he is a dealer registered or liable to be registered under the provisions of the RST Act, 1954. (Act No.29 of 1954), in the manner and within the time as tax on sales is payable by him under the said Act; and
- (b) if he is a person not covered by clause (a), on the date of entry of the motor vehicle into the local area, to the incharge of the entry checkpoint or the Commercial Taxes Officer of the area where he ordinarily resides or carries on any business or provides any service, and the provisions of the RST Act, 1954 (Act No.29 of 1954) as applicable to a registered dealer or casual trader shall, mutatis mutandis, apply to such dealer or, as the case may be, such person.
- (3) The tax shall be in addition to the tax levied and collected as octroi by any local authority within its local area.


4. Reduction in tax liability. -

- (1) Where an importer of a motor vehicle liable to pay tax under this Act, being a dealer in motor vehicles, becomes liable to pay tax under the RST Act, 1954 (Act No.29 of 1954) by virtue of the sale of such motor vehicle, then his liability under the RST Act, 1954 shall be reduced to the extent of tax paid under this Act.
- (2) The amount of tax leviable under this Act shall, subject to such conditions as may be prescribed, be reduced to the extent of the amount of tax paid, if any, under the law relating to General Sales Tax as may be in force in any other State or Union Territory [or under the Central Sales Tax Act, 1956(Central Act No. 74 of 1956)] by an importer who, not being a dealer registered under the provisions of the RST Act (Act No.29 of 1954), had purchased the motor vehicle in that State for his own use.

Rule 3. Condition for reduction in liability to tax,-

- (1) If any person importing a motor vehicle into the local areas of the State for own use, claims the reduced rate of tax under sub - section (2) of section 4 of the Act, he shall submit an application in writing to the Assistant Commissioner or the Commercial Taxes Officer having territorial jurisdiction over the area where he ordinarily resides, before registration of such motor vehicles into the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) along with proof of payment of amount of tax reduced in accordance with sub - section (2) of section 4 of the Act.
- (2) The said officer, on being satisfied that the tax as per sub -section (2) of section 4 of the Act has been paid, shall issue a tax clearance certificate to such importer in Form TCC - 1 appended to these rules. (w.e.f. 01 - 04 - 2011)

8. उक्त आदेश एवं उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के एवं बिना किसी विवरण के एक वाहन की कीमत रूपये 11,50,000/- मानकर 12 प्रतिशत से कर आरोपित कर दिया गया। मेरे द्वारा इस आदेश के अवलोकन पर यह एक




लगातार.....5

विशिष्ट विधिक स्थिति प्राप्त हुई कि कर निर्धारण अधिकारी ने जहां प्रवेश कर अधिनियम में ई.टी.1 प्राप्त नहीं होने के आधार पर शास्ति आरोपित की है वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा 1,38,000/- की करदेयता के विरुद्ध अन्य राज्य में क्रय कर चुकाना मानते हुए रुपये 1,15,693/- का समायोजन भी दे दिया गया है जो यह दर्शाता है कि सहायक आयुक्त को यह ज्ञान नहीं है कि यह समायोजन केवल तभी दिया जा सकता था जब कोई वाहन का आयातकर्ता विभाग से ई.टी.1 प्राप्त कर वाहन का राज्य में प्रवेश कराये, उसके बिना यह रियायत दिये जाने के प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम में नहीं हैं। इससे यह जाहिर होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना तथ्यों एवं विधि के ज्ञान के एवं बिना किसी आधार के अपीलार्थी व्यवहारी पर करारोपण किया गया है। मुझे यह टिप्पणी करने में भी संकोच नहीं है कि, हो सकता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई वाहन खरीदा गया हो, जिसका कर निर्धारण अधिकारी को कोई ज्ञान रहा होगा, परन्तु ऐसे ज्ञान का उपयोग करते समय उसकी जांच की जाना उनका कर्तव्य था जो कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की बहियात से भी की जा सकती थी क्योंकि वो उनके वृत्त में करदाता के रूप में पंजीकृत व्यवसायी था, जिसकी बहियात की भी जांच की जा सकती थी परन्तु ऐसा कोई परिश्रम करने की तकलीफ़ किये बिना सीधे एक अविधिक आदेश पारित किया गया है जिसमें एक ओर व्यवसायी पर कर आरोपित किया गया है तो दूसरी ओर गलत रूप से अन्य राज्य में चुकाये गये कर का समायोजन भी दिया गया है जो वास्तव में नहीं दिया जा सकता था। इस तरह बिना किसी आधार के एवं बिना किसी सुनवाई का मौका दिये पारित किये गये आदेश को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि उनके पास मोटर वाहन क्रय सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा बिल आदि उपलब्ध है तो उसके विवरण के साथ विशिष्ट नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका प्रदान कर प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश पारित करें, परन्तु यदि राज्य के बाहर से मोटर वाहन क्रय करने का कोई साक्ष्य या बिल उपलब्ध नहीं है तो किसी तरह का आदेश पारित नहीं करेंगे।

9. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित प्रवेश कर, ब्याज एवं शास्ति अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य